निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

<u>सकारण आदेश</u>

सं0 सं०–4/आ0–5–41/2014 1295(4) पटना, दिनांक 25/10/18

1. श्री महावीर सिंह तत्कालीन लिपिक सदर अस्पताल, पूर्णिया अतिरिक्त प्रभार अनुज्ञापन प्राधिकार कार्यालय, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा प्रस्तुत अपील सिविल सर्जन, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–2027 दिनांक 03.08.2017, जिसके द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 43 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत श्री सिंह का शत–प्रतिशत पेंशन एवं उपादान जब्त किया गया है और साथ ही निलम्बन अवधि के लिये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी अन्य भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है ।

2. अपीलकर्त्ता के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी गई है :–

(क) जाँच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के विरुद्ध केवल इस आधार पर आरोप प्रमाणित पाया गया है कि अपीलकर्त्ता आरोपों के विरुद्ध प्रमाण नहीं दे पाये जबकि यह जाँच पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचना के आधार पर होना चाहिये था ।

(ख) नियम 43 (B) के अन्तर्गत गम्भीर अवचार या सरकारी राशि के क्षति के आधार पर पेंशन जब्त किया जा सकता है जबकि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध गम्भीर आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

(ग) Respondent Authorities के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है ।

3. संचिका में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि जाँच पदाधिकारी के द्वारा श्री सिंह को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, साथ ही उनके द्वारा श्री सिंह के अतिरिक्त अन्य गवाहों जैसे, परिवादी मो0 फरहद, अनुज्ञापन पदाधिकारी श्रीमती कमला कुमारी, औषधि निरीक्षक श्री नीरज कुमार मानस, श्री अजय शंकर लोरिक, श्री अजय कुमार एवं श्री सुरेन्द्र राम तथा अनुसेवक श्री कृष्ण चन्द्र चक्रवर्त्ती का परीक्षण भी किया गया है ।

4. जाँच पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, पूर्णिया का पत्रांक–233 दिनांक 04.08.2016, जिसके द्वारा जाँच के निष्कर्ष का प्रेषण किया गया है के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री सिंह के द्वारा शिकायतकर्त्ता मो0 फरहद के साथ सम्पर्क के बिन्दु पर गलतबयानी की गई । जहाँ जाँच दल के समक्ष दिये गये अपने बयान में श्री सिंह ने शिकायतकर्त्ता के साथ किसी भी प्रकार के सम्पर्क से इन्कार किया वहीं उनके द्वारा दिनांक 20.07.2015 को समर्पित आवेदन में यह अभिकथन किया गया है कि उन्होंने औषधि अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में शिकायतकर्त्ता को कहा है कि "बार–बार तुमको एक ही बात बोलेंगे, जो पहले बोले हैं वह ला कर दो" । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, पहली कि, श्री सिंह के बयानों में विरोधाभास है, और दूसरी, कि वे लगातार शिकायतकर्त्ता के सम्पर्क में थे । उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख आक्षेपित दण्डादेश में भी किया गया है । उपरोक्त के आधार पर ही दण्डादेश में यह उल्लेख किया गया है कि श्री सिंह शिकायतकर्त्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति चालान फार्म पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाने के अनुरोध को टालमटोल करते रहे ।

5. उपरोक्त तथ्यों के साथ–साथ अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा निगरानी विभाग के Post Trap Memorandum एवं Pre Trap Memorandum का भी अवलोकन किया गया एवं सभी गवाहों, अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत श्री

सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा में सिर्फ नियमों की चर्चा की गई है । तथ्यात्मक रुप से जाँच प्रतिवेदन का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है ।

6. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता का यह आधार कि उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया है और Respondent Authorities के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है– स्वीकार योग्य नहीं है।

7. उल्लेखनीय है कि बिहार पेंशन रुल के अन्तर्गत पारित दण्डादेश के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली में अपील का कोई प्रावधान नहीं है । बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 में वर्णित दण्डों के विरुद्ध ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 23 से 27 के अन्तर्गत अपील का प्रावधान है ।

आक्षेपित दण्डादेश चूँकि बिहार पेंशन नियमावली 43 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत पारित किया गया है इसलिये प्रासंगिक अपील नियमानुकूल Maintenable नहीं है।

8. उपरोक्त नियमों एवं तथ्यों के आलोक में श्री महावीर सिंह तत्कालीन लिपिक सदर अस्पताल, पूर्णिया अतिरिक्त प्रभार अनुज्ञापन प्राधिकार कार्यालय, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा दायर प्रस्तुत अपील Maintenable नहीं है, इसलिए अस्वीकृत किया जाता है।

12/10/18

(डॉ0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4/आ0–5–41/2014 1295(4) /स्वा0, पटना, दिनांक–25/10/18

E Mail

प्रतिलिपि–सिविल सर्जन, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–श्री महावीर सिंह तत्कालीन लिपिक सदर अस्पताल, पूर्णिया, सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख(प्रशासन) के निजी सहायक/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–04/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04 को सूचनार्थ प्रेषित।

12/10/18

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।